न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–7, सहारनपुर
उपस्थित–अनामिका चौहान, एच0जे0एस0

CNR No.UPSP010001122018

दाण्डिक अपील संख्या–02/2018

1. श्रीमति रूकैय्या पत्नी वहीद अहमद उम्र 62 वर्ष
2. रिजवान पुत्र इब्राहिम
3. वहीद अहमद पुत्र इब्राहिम
4. इकराम पुत्र इब्राहिम

निवासीगण ग्राम बेगपुर नौगावा थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।

————————— अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरकार
2. मौहम्मद हनीफ पुत्र मौहम्मद राशिद निवासी ग्राम बेगपुर नौगावा थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।

————————— प्रत्यर्थीगण

एवम्

CNR No.UPSP010132522018

दाण्डिक अपील संख्या–99/2018

रईसा पत्नी मौ0 हनीफ उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम नौगावा बेगपुर थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर। ————————— अपीलार्थी

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. श्रीमति रूकैया पत्नी वहीद अहमद
3. रिजवान पुत्र इब्राहिम
4. वहीद अहमद पुत्र इब्राहिम
5. इकराम पुत्र इब्राहिम

निवासीगण ग्राम बेगपुर नौगावा थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।

————————— प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1– दाण्डिक अपील संख्या–02/2018 श्रीमति रूकैय्या आदि बनाम सरकार आदि अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण श्रीमति रूकैय्या आदि की ओर से विद्वान द्वितीय अपर

सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम श्रीमति रूकैय्या आदि, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 एवं 427 भा0दं0सं0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 12–12–2017, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण श्रीमति रूकैय्या, रिजवान, वहीद अहमद एवं इकराम को धारा–323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया है तथा अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा–4 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ 06 माह की अवधि हेतु सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने का आदेश इस शर्त के साथ पारित किया गया कि प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्त 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय का दाखिल करे कि वह परिवादी को रूपया 1500–1500 (कुल रूपये 6000/–)एक माह के अन्दर प्रतिकर के रूप में अदा करेगा एवं न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर दण्डादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण श्रीमति रूकैय्या, रिजवान, वहीद अहमद एवं इकराम को धारा–452, 427, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप से दोषमुक्त किया गया है, के विरूद्ध योजित की गयी है।

2– दाण्डिक अपील संख्या–99/2018 अपीलार्थी एवं परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम श्रीमति रूकैय्या आदि में चुटैल श्रीमति रईसा की ओर से विद्वान द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम श्रीमति रूकैय्या आदि, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 एवं 427 भा0दं0सं0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 12–12–2017, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण श्रीमति रूकैय्या, रिजवान, वहीद अहमद एवं इकराम को धारा–323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया है तथा अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा–4 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ 06 माह की अवधि हेतु सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने का आदेश इस शर्त के साथ पारित किया गया कि प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्त 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय का दाखिल करे कि वह परिवादी को रूपया 1500–1500 (कुल रूपये 6000/–)एक माह के अन्दर प्रतिकर के रूप में अदा करेगा एवं न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर दण्डादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा तथा प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण श्रीमति रूकैय्या, रिजवान, वहीद अहमद एवं इकराम को धारा–452, 427, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप से दोषमुक्त किया गया है, के विरूद्ध योजित की गयी है।

3– उपरोक्त दोनों उन्वान की दाण्डिक अपील दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम श्रीमति रूकैय्या आदि, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 एवं 427 भा0दं0सं0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 12–12–2017 के विरूद्ध दायर की गयी हैं ऐसी स्थिति में दोनों दाण्डिक अपील एक साथ निस्तारित किया जाना न्यायसंगत है।

4– दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम श्रीमति रूकैय्या आदि, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 एवं 427 भा0दं0सं0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी मौहम्मद हनीफ द्वारा अभियुक्तगण श्रीमति रूकैय्या, रिजवान, वहीद अहमद व इकराम के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा– 452, 323, 504, 506 एवं 427 के अन्तर्गत विचारण हेतु परिवादपत्र प्रस्तुत करके अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने की याचना की गयी तथा परिवादपत्र में परिवादी का कथन संक्षेप में इसप्रकार है कि परिवादी के ग्राम नौगांवा में उसका घेर, जिसके चारो तरफ पक्की दीवारें व बीच में छप्पर पड़ा है, बना हुआ है। इसमें परिवादी रहता है व भैंस बैल बांधता है। रूकैयया ग्राम की प्रधान है तथा बाकी अभियुक्त उसका पति व परिवार वाले हैं जो परिवादी के, अभियुक्त रूकैयया के खिलाफ प्रधानी के चुनाव मे खडे होने से परिवादी से चुनावी रंजिश रखते हैं। दिनाँक 02–12–2006 को शाम 5 बजे परिवादी की घरवाली व उसकी लडकी मन्नो व लड़के की बहु अपने घर में थे। तभी अभियुक्तगण परिवादी के घेर की दीवार तोड़ते हुए कहने लगे कि घेर मे को रास्ता निकालेंगें। उन्हें ऐसा करने से रोकने पर अभियुक्तगण ने परिवादी की पत्नी रईसा, लडकी मन्नों व लड़के की बहु रेशमा को जान से मारने की नियत से थप्पड़ मुक्को व लात से मारपीट किया। शोर पर आये गवाहान हमीद पुत्र जानी व राजकुमार पुत्र मंगता आदि ने उन्हे बड़ी मुश्किल से बचाया। अभियुक्तगण ने परिवादी के घर पर छप्पर तोड़ दिया और उसमे रखे चार फावडे, बिजली का पंखा, दवाई छिड़कने की मशीन, गैस का चूल्हा व गैस की लालटेन आदि सामान जबरदस्ती भय दिखाकर लूटकर जान से मारने की धमकी देते हुए गए। परिवादी की घरवाली ने थाने पर रिपोर्ट लिखाई। पुलिस वालो ने पूरी बात नहीं लिखी और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। उल्लेखनीय है कि प्रकरण की घटना के सम्बन्ध मे थाना मिर्जापुर में परिवादी की पत्नी रईसा ने थाना मिर्जापुर में दिनांक 03–12–2005 को 9–10 बजे एन. सी.आर. सं० 55/2006, दर्ज करायी तथा पुलिस द्वारा दी गयी मजरूबी चिटठी के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सढोली कदीम सहारनपुर में स्वयं का, रेशमा एवं मन्नों का चिकित्सीय परीक्षण कराया।

परिवादी की ओर से स्वयं को धारा 200 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत एवं गवाह पी0 डब्लू0–1 रईसा, पी0डब्लू0–2 मन्नो एवं पी0डब्लू0–3 हमीद को साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण श्रीमती रूकैय्या, रिजवान, वहीद एंव इकराम के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 506 एवं 427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत परिवाद के आधार पर विचारण हेतु तलब किया गया।

अभियुक्तगण को समन जारी किये गये। अभियुक्तगण द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। परिवादी की ओर से धारा 244 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0 डब्लू0–1 के रूप में स्वयं को पी.डब्लू– 2 मन्नो को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है।

परिवादी पी0डब्लू0–1 हनीफ ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 244 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परिवाद में वर्णित कथनो का समर्थन करते हुए कथन किया कि रिपोर्ट दर्ज होने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो यह दावा दायर किया था।

साक्षी पी0डब्लू0–2 मन्नो ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा 244 दंप्र.सं. में मुख्यतः कथन किया कि आज से करीब तीन वर्ष पूर्व उनके घेर पर अभियुक्तगण आये तोड़

फोड़ करने लगे व दीवार तोड़ने लगे और कहने लगे कि यहां रास्ता निकालेंगे। मना करने पर इन लोगों ने मुक्के, लातो, हाथों से मन्नो, रेशमा व रईसा के साथ मारपीट की। अभियुक्तगण चार फावड़े, छिड़काव करने की मशीन, बिजली का पंखा गैस का चुल्हा गैस की लालटेन ले गये। जाते वक्त अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी।

अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452, 323/34. 504, 506 एवं 427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

परिवादी की ओर से धारा 246 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0 डब्लू0–1 हनीफ, पी0 डब्लू0–2 मन्नो, पी0डब्लू0– 3 रईसा, पी0डब्लू0–4 डा0 अनिल कुमार, पी0डब्लू0– 5 का0 बिजेन्द्र शर्मा एवं पी0डब्लू0–6 एच. सी. सुधीर कुमार को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अर्न्तगत धारा –313दं0प्र0स0 अंकित किये गये, जिनमें अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा झूठा चलना, गवाहान द्वारा गलत गवाही देना एवं घटना झूठी होने का कथन करते हुए सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया।

सफाई साक्ष्य में अभिुक्तगण द्वारा सूची–39ख से दिनांक 06–07–2007 को ग्राम प्रधान बेगपुर की ओर से जिलाधिकारी सहारनपुर को दिये गये प्रार्थनापत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, वाद संख्या–98 धारा–122बी. न्यायालय तहसीलदार बेहट में ओमपाल सिंह लेखपाल द्वारा दिये गये बयान दिनांकित 30–07–2007 की प्रमाणित प्रतिलिपि, तहसीलदार बेहट जिला सहारनपुर द्वारा वाद संख्या–07/06–07 धारा 122 बी. जे.वि. अधि. मौजा बेगपुर में दिये गये निर्णय दिनांक 24–12–2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं 30 जनवरी 2012 को जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा वाद संख्या–09/11–12 में अन्तर्गत धारा–122 बी (4ए) ज.वि. अधि. में पारित निर्णय की छायाप्रति दाखिल की गयी।

विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा परिवादी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने तथा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का सम्यक अवलोकन करने के पश्चात अपने निर्णय/ आदेश दिनांकित 12–12–2017 के द्वारा निष्कर्ष देते हुए यह निर्णय पारित किया गया है कि " प्रकरण की घटना दिनांक 02–12–2006 शाम 5 बजे के सम्बन्ध में अगले दिन सुबह 9:10 बजे परिवादी की पत्नी रईसा द्वारा एन.सी.आर. इन कथनों के साथ दर्ज करायी गयी कि रास्ते के विवाद को लेकर अभियुक्तगण ने उसके, उसकी बहु एवं बेटी के साथ लात घूसों की साथ मारपीट की एवं गाली गलौच करते हुए पूर्व से उनका पड़ा हुआ छप्पर तोड़ दिया जिससे उन्हें चोटें आयी और उनका नुकसान हुआ। इस प्रकार जबकि चुटैल महिलाये है और घटना शाम के 5 बजे की है, अतः मेरे मत में अगले दिन सुबह 9:10 घटना की शिकायत थाने पर किये जाने में ऐसा विलम्ब नहीं है जो घटना को संदिग्ध बनाता हो। चुटैल मन्नो, रईसा एवं रेशमा का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 04–12–2006 को 03:00 बजे मजरूबी चिट्ठी के आधार पर किया गया। चिकित्सीय परीक्षण में देरी का स्पष्टीकरण साक्षी पी0डब्लू0–2 मन्नो एवं साक्षी पी0डब्लू0–3 रईसा के बयान में आया है कि परिवादी हनीफ घर पर नहीं थे इसलिये घटना के तीसरे दिन हनीफ के घर आने पर उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साक्षी पी0डब्लू0–2 मन्नो ने अपनी सशपथ जिरह में कथन किया कि तीनों को गुम चोटें आयी। डाक्टरी तीसरे दिन कराई। पिता तीसरे रोज

आये। हथियार से नहीं थप्पड़ मुक्कों व लात घूसों से मारा। लाठियों से नहीं मारा। हमीद व राजकुमार ने छुड़ाया। साक्षी पी0डब्लू0–3 रईसा ने भी अपनी सशपथ जिरह में कथन किया कि शाम के 5 बजे थे। मुलजिमान दीवार तोड़ने लगे। हम तीनों ने मना किया तो थप्पड़ मुक्कों व लात घूसों से मारा। डाक्टरी तीसरे दिन हुई थी। मेरा आदमी घर पर नहीं था। इसलिये डाक्टरी उस दिन नहीं हुई। साक्षी पी0डब्लू0–2 मन्नो एवं पी0डब्लू0–3 रईसा की प्रतिपरीक्षा में इस बात को लेकर कोई विरोधाभास नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा थप्पड़ मुक्कों व लातों से उनके साथ मारपीट की गयी जिसका समर्थन चुटैलों की चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–1, प्रदर्श क–2 एवं प्रदर्श क–3 से होता है। बचावपक्ष की ओर से दिया गया यह तर्क कि एन.सी.आर. व परिवादपत्र में वर्णित स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, अधिक महत्व का नहीं है चूंकि घटना के चुटैल साक्षीगण द्वारा उनके साथ हाथ व लात से की गयी मारपीट के सम्बन्ध में उनकी प्रतिपरीक्षा में कोई विरोधाभासी कथन नहीं है। इस प्रकार परिवादी अभियुक्तगण के विरूद्ध चुटैलों के साथ मारपीट किये जाने सम्बन्धी कथन युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा–323 के अन्तर्गत लगाया गया आरोप साबित होता है।''

जहां तक धारा–504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप का सम्बन्ध है तो इस सम्बन्ध में न तो एन.सी.आर. में और न परिवाद में ऐसे शब्दों का उललेख किया गया है जो दर्शित करते हों कि अभियुक्तगण का आशय चुटैलों को लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान करना हो। साथ ही इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि परिवादी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 मन्नो एवं पी0डब्लू0–3 रईसा की मुख्य पृच्छा में इन कथनों का उल्लेख नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा चुटैलों के साथ गाली गलौच की गयी। इस प्रकार परिवादी पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा– 504 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप को युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

भा0दं0सं0 की धारा– 503, जिसके दण्ड का प्रावधान धारा–506 में वर्णित है, के अन्तर्गत अभियुक्तगण के किसी कृत्य का अपराध की कोटि में आने के लिये आवश्यक है कि अभियुकतगण का आशय ऐसे कृत्य से चुटैलों को संत्रास कारित करने का रहा हो और ऐसे धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप ऐसा कोई कार्य कराया जाये जिसे करने के लिये चुटैल विधिक रूप से आबद्ध न हो या किसी ऐसे कार्य का लोप कराया जाये जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो। स्वयं चुटैल एवं प्रकरण की एन.सी.आर. लिखाने वाली साक्षी पी0डब्लू0–3 रईसा के एन.सी.आर. में वर्णित कथनानुसार जान से मारने की धमकी का कोई उल्लेख एन.सी.आर. में नहीं है, लात घूसों से मारपीट किया जाना कहा गया है अर्थात अभियुक्तगण के पास ऐसे कोई खतरनाक हथियार नहीं है जो अभियुक्तगण का जान से मारने का आशय दर्शित करता हो एवं जो चुटैल को जान से मारने का भय कारित करने के लिये पर्याप्त हो बल्कि अभियुक्त रूकैय्या घटना के समय ग्राम प्रधान थी और परिवादी की ओर से चुटैल का ऐसा कोई आचरण दर्शित नहीं किया गया है जो स्पष्ट करे कि ऐसे अभित्रास के अनुसरण में अभियुक्तगण चुटैलों से क्या काम कराना चाहते थे अथवा कार्य लोप चाहते थे। अतः परिवादी अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा–506 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप को

युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा–452 एवं 427 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप का प्रश्न है तो एन.सी.आर. में वर्णित कथनानुसार रास्ते के विवाद को लेकर अभियुक्तगण ने उनका छप्पर तोड़ दिया। परिवाद में वर्णित कथनानुसार मुलजिमान 1 ता 4 आकर परिवादी के घेर की दीवार तोड़ने लगे और कहने लगे कि यह दीवार तोड़कर घेर में को रास्ता निकालेंगे। ऐसा करने से रोकने पर अभियुक्तगण ने जान से मारने की नियत से थप्पड़ मुक्कों व लात से मारपीट की। साक्षी पी0डब्लू0–2 मन्नो ने दं0प्र0सं0 की धारा–244 के अन्तर्गत इस संबंध में कथन किया कि अभियुक्तगण यह कहकर दीवार तोड़ने लगे कि यहां से रास्ता निकालेंगे। साक्षी पी0डब्लू0–1 हनीफ ने अपने सशपथ जिरह में कथन किया कि मुलजिम इकराम वर्तमान में व रूकैय्या पूर्व प्रधान हैं साक्षी पी0डब्लू0–3 रईसा द्वारा भी अपने सशपथ बयान कागज संख्या–26क/1 पर अभियुक्त रूकैय्या को घटना के समय प्रधान होना कहा है। पत्रावली पर परिवादी को उत्तर प्रदेश जमी0 विनाश एवं भूमि सुधार अधि0 के अन्तर्गत प्रेषित नोटिस की प्रतियां 11ख/28 व 11ख/29 उपलब्ध है जो नदी की भूमि में आबादी बनाये जाने के सम्बन्ध में है। साथ ही प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी मूलवाद संख्या– 264/2007, जिसके वादपत्र एवं प्रतिवादपत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर कागज संख्या–11ख/4 ता 11ख/26 के रूप में उपलब्ध है, के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा चारों विपक्षीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दीवानी वाद दायर किया गया, जिसमें दाखिल उत्तरपत्र के पैरा संख्या–31 में अभियुक्तगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को नदी यानि सार्वजनिक उपयोग की सम्पत्ति होना कहा। इस प्रकार परिवादी को दिये गये नोटिस अन्तर्गत धारा–122बी. उत्तर प्रदेश जमी0 विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम एवं परिवादी व अभियुक्तगण के मध्य वाद संख्या–264/2007 का चलना दर्शित करते हैं कि प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वामित्व का झगड़ा विद्यमान रहा, अभियुक्त रूकैय्या तत्कालीन ग्राम प्रधान रही और ग्राम प्रधान होने के नाते भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के रूप में ग्राम प्रधान के दायित्व निर्धारित हैं और जैसा कि एन.सी.आर. में वर्णित है कि रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट की और स्वयं पी0डब्लू0–2 मन्नो का कथन है कि ''यह कहकर दीवार तोड़ने लगे कि यहां रास्ता निकालेंगे'', दर्शित करता है कि ग्राम प्रधान रूकैय्या रास्ते के विवाद को लेकर मौके पर गयी। अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वयं परिवादी पक्ष के कथनानुसार अभियुक्तगण का आशय वादग्रस्त सम्पत्ति को साशय नुकसान पहुंचाने का नहीं था। स्वयं परिवादी की ओर से दाखिल फोटोग्राफ कागज संख्या–6क दर्शित करता है कि खाली जगह पर छप्पर डला हुआ है जिसके चारों ओर पुआल की अस्थाई दीवारें हैं। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि परिवाद जिसमें दीवार तोड़ने की बात लिखी है, घटना के 6 माह बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा एन.सी.आर. में जो छप्पर तोड़ने की बात लिखी है उसका उल्लेख साक्षी हनीफ , मन्नो अथवा रईसा की मुख्य परीक्षा में नहीं है। अतः परिवादी पक्ष प्रकरण के अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा– 452 व 427 के अन्तर्गत अपना कथानक युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

अतः उक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान अभियुक्त श्रीमति रूकैय्या द्वारा परिवादी की सम्पत्ति के विवाद को लेकर प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण रिजवान, वहीद अहमद एवं इकराम के साथ मिलकर चुटैल परिवादी हनीफ

की पत्नी रईसा, पुत्री मन्नो एवं बहू रेशमा के साथ मारपीट की गयी और परिवादी पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध मारपीट सम्बन्धी कथन युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण श्रीमति रूकैय्या, रिजवान, वहीद अहमद एवं इकराम प्रस्तुत प्रकरण में भा0दं0सं0 की धारा–323 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्तगण उपरोक्त को भा0दं0सं0 की धारा–452, 504, 506, 427 के अन्तर्गत दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अतः विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण श्रीमति रूकैय्या, रिजवान, वहीद अहमद एवं इकराम को धारा–323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया है तथा अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा–4 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ 06 माह की अवधि हेतु सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने का आदेश इस शर्त के साथ पारित किया गया कि प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्त 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय का दाखिल करे कि वह परिवादी को रूपया 1500–1500 (कुल रूपये 6000/–)एक माह के अन्दर प्रतिकर के रूप में अदा करेगा एवं न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर दण्डादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा।" जिस से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील योजित की गयी है।

5– अपीलार्थीगण श्रीमति रूकैय्या आदि द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 02/2018 प्रस्तुत करते हुए उक्त दाण्डिक अपील में यह आधार लिया गया है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांकित 12–12–2017 खिलाफ कानून, खिलाफ वाकात विरूद्ध साक्ष्य है। विद्वान परीक्षण न्यायालय का आदेश बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आये साक्ष्य में विरोधाभास को नजर अन्दाज करके कानूनी भूल की है। अभियोग पक्ष की ओर से जो एन.सी.आर. थाने पर लिखायी गयी है उसमें किसी भी चुटैल को चोट आना नहीं लिखा है और लात घूसों से मारना दिखा है जबकि एन.सी.आर. घटना के 16 घण्टे बाद लिखायी होना दिखाया गया है और इसके तीन माह बाद फर्जी घटना बनाकर परिवाद न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है और इस देरी का कोई स्पष्टीकरण परिवादी द्वारा नहीं दिया गया है और डाक्टर अनिल कुमार पी0डब्लू0–4 द्वारा चुटैलों का परीक्षण कथित घटना के करीब दो दिन बाद किया होना दिखाया गया है। पी0डब्लू0–4 द्वारा दिखायी गयी समय अवधि भी चोटों से मेल नहीं खाती है तथा पी0डब्लू0–4 ने अपने साक्ष्य में चोटों को लाठी डन्डों से आना बताया है जबकि अभियोग पक्ष का कोई भी साक्षी लाठी डन्डों का प्रयोग होना नहीं बताता है। इतने भारी विरोधाभास को विद्वान परीक्षण न्यायालय ने नजर अन्दाज करके धारा– 323 भा0दं0सं0 में सजा करके कानूनी भूल की है। अभियोग पक्ष की तरफ से डाक्टरी मायने की भी फीस देकर प्राईवेट तौर पर दो दिन बाद कराये है जो सन्देह के घेरे में आते हैं और घटना के वाकात से भिन्न हैं और किसी भी सूरत में मानने योग्य नहीं है। जिनको अभियोग पक्ष की तरफ से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा धारा– 323 भा0दं0सं0 के बारे में परिवादी के बयान को विश्वास करके कानूनी भूल की है क्योंकि परिवादी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और चुटैलों के बयान को किसी भी तरीके से माना नहीं जा सकता। अभियोग पक्ष की तरफ से कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं दिया गया और न ही चुटैल

रेशमा का बयान न्यायालय में कराया गया और विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय में परिवादी की ओर से कोई भी दस्तावेज सम्पत्ति के स्वामित्व का दाखिल नहीं किया गया है जबकि सम्पत्ति ग्राम समाज की साबित हुई और उस पर परिवादी के विरूद्ध ग्राम समाज की तरफ से बेदखली भी न्यायालय द्वारा की गयी जिसमें कार्यवाही तत्कालीक ग्राम/अपीलार्थी/अभियुक्ता श्रीमति रूकैया द्वारा दिनांक 27–11–2016 से कर रखी थी। इसी रंजिशवश प्रधान व प्रधान पति व प्रधान पति के भाईयों के विरूद्ध झूठे वाकात का परिवाद किया गया था और विद्वान परीक्षण न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य समस्त तथ्य का दाखिल किया जिसको भी विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी को 1500/– 1500/–रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को देने का आदेश करके कानूनी भूल की है क्योंकि अभियोग पक्ष की तरफ से परिवाद का कोई भी तथ्य साबित नहीं किया गया इसलिये अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण को सजा करके विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गयी है। अतः विद्वान द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम रूकैय्या आदि, अन्तर्गत धारा–323 भा0दं0सं0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर में पारित दाण्डिक आदेश दिनांकित 12–12–2017 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थीगण को दोष मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

अपीलार्थीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम रूकैय्या आदि, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 एवं 427 भा0दं0सं0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 12–12–2017की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या–4ख प्रस्तुत की गयी है।

6– प्रत्यर्थीगण की ओर से उक्त दाण्डिक अपील के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7– इसी प्रकार से विद्वान द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम रूकैय्या आदि, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 एवं 427 भा0दं0सं0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 12–12–2017 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/चुटैल श्रीमति रईसा द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 99/2018 रईसा बनाम उ0प्र0 राज्य आदि प्रस्तुत की गयी है।

8– अपीलार्थी/चुटैल श्रीमति रईसा द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 99/2018 प्रस्तुत करते हुए उक्त दाण्डिक अपील में यह आधार लिया गया है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय का निर्णय व आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुये पारित किया गया है। पत्रावली पर आये साक्ष्य बयान पी0डब्लू0–1 हनीफ, बयान चुटैल मन्नो पी0डब्लू0–2 व बयान पी0डब्लू0–3 रईसा व अन्य पत्रावली पर आये साक्ष्य के अनुसार

प्रतिउत्तरदातागण के विरूद्ध धारा 452, 504, 506 व 427 भा0दं0सं0 का अपराध बखूबी बनता है परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली का सही प्रकार से अवलोकन किये बिना प्रतिउत्तरदातागण को उक्त धाराओं में दोषमुक्त करके कानूनी भूल की है। प्रतिउत्तरदातागण के विरूद्ध धारा–504 भा0दं0सं0 का अपराध पत्रावली पर आये साक्ष्य से बखूबी साबित होता है क्योंकि प्रतिउत्तरदातागण ने आकर गाली गलौच किया परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने उस तथ्य पर कोई ध्यान न देकर धारा–504 भा0दं0सं0 में दोष मुक्त कर दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध एन.सी.आर. व उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रतिउत्तरदातागण ने घर में घुसकर मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दी परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और नजर अन्दाज करते हुये धारा–506 भा0दं0सं0 में भी दोष मुक्त कर दिया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय आदेश में यह बात स्पष्ट लिखी है कि अभियुक्तगण ने छप्पर तोड़ा और यह भी माना कि छप्पर वादी का था और छप्पर टूटने से वादी को नुकसान हुआ और छप्पर की नोईयत ही टूटने से बदल गयी इसलिये अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 427 भा0दं0सं0 का अपराध पत्रावली पर आये साक्ष्य से पूर्णतया साबित है परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा–427 भा0दं0सं0 में बरी करके कानूनी भूल की हे। पत्रावली पर आये साक्ष्य से साफ जाहिर है कि अभियुक्तगण घेर में आये और घेर में चारदीवारी बनी है जिस पर छप्पर पड़ा है और दीवार तोड़ने लगे, मना करने पर अभियुक्त द्वारा मन्नो, रेशमा व रहीसा को मारपीट किया व छप्पर तोड़ दिया। इस प्रकार पत्रावली पर आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 452 भा0दं0सं0 का अपराध बखूबी बनता है, परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने उक्त धारा में भी दोष मुक्त कर दिया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा धारा–323 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण को सजा की है वह भी 6 माह की परिवीक्षा पर छोड़कर भारी भूल की है। जबकि अभियुक्तगण को धारा–323 भा0दं0सं0 में कारागार की सजा होनी चाहिये थी और धारा– 452, 504, 506, 427 भा0दं0सं0 का जुर्म भी अभियुक्तगण के विरूद्ध बखूबी साबित है। उक्त धाराओं में अभियुक्तगण को सजा होनी चाहिये क्योंकि जब अभियुक्तगण को धारा–323 भा0दं0सं0 में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा स्वयं अभियुक्तगण को सजा की है और जुर्म साबित है और जब अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की धारा साबित है तो घेर के अन्दर घुसकर मारपीट करने की बात भी पत्रावली पर सही प्रकार से साबित है और वादी का छप्पर तोड़ना व गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देना भी पत्रावली पर साक्ष्य में बखूबी साबित है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम रूकैय्या आदि में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 12–12–2017 को निरस्त किया जाकर अभियुक्तगण को धारा–323, 452, 504, 506, 427 भा0दं0सं0 में कारागार की सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

अपीलार्थी की ओर से अपने कथन के समर्थन में न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम रूकैय्या आदि, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 एवं 427 भा0दं0सं0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 12–12–2017 की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या–4ख तथा न्यायालय तहसीलदार बेहट में

वाद संख्या–98 धारा– 122बी. में नकल रिपोर्ट दिनांकित 24–10–2019 कागज संख्या–24ख, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नवम शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, सहारनपुर द्वारा जारी रसीद कागज संख्या–25ख, विद्युत विभाग का बिल कागज संख्या–26ख, यू0पी0 इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड की रसीद कागज संख्या–27ख प्रस्तुत किये गयें है।

9– प्रत्यर्थीगण की ओर से उक्त दाण्डिक अपील के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

10– विद्वान परीक्षण न्यायालय से सम्बन्धित वाद की पत्रावली तलब होकर संलग्न है।

11– मैने दाण्डिक अपील संख्या–02/2018 में राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अपीलार्थीगण एवं विपक्षी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता एवं दाण्डिक अपील संख्या–99/2018 में राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अपीलार्थी एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रश्नगत आदेश एंव तलवीदा पत्रावली का अवलोकन किया।

12– दाण्डिक अपील संख्या–99/2018 के अपीलार्थी/चुटैल की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम श्रीमति रूकैय्या आदि की पत्रावली में पारित निर्णय दिनांकित 12–12–2017 पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण तथा साक्ष्य के विपरीत है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा– 452, 427, 504, 506 भा0 दं0सं0 के अन्तर्गत अपराध में बिना किसी आधार के दोषमुक्त किया है। परिवादी ने अपने परिवाद और अपने साक्ष्य में स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण ने उसके घेर में घुसकर मारपीट और तोड़ फोड़ की, उनके साथ गाली गलौच की और जान से मारने की धमकी दी। इस साक्ष्य को अनदेखा करते हुये विद्वान परीक्षण न्यायालय ने सभी अभियुक्तगण को धारा– 452, 427 भा0 दं0सं0 के अन्तर्गत अपराध में दोषमुक्त कर दिया। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा यह आधार लिया गया कि पक्षकारों के बीच दीवानी वाद लम्बित है और विवाद रास्ते का है जिसमें खाली जगह पर छप्पर डला होना मानते हुए गृह अतिचार का अपराध सिद्ध नहीं माना है जबकि सभी साक्षियों ने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण उनके घेर में घुसकर घेर की दीवार को नुकसान पहुंचाया, उनके घेर से सामान उठा ले गये। सम्पूर्ण घटना परिवादी के घेर में हुई है। परिवादी ने अपने परिवाद में यह स्पष्ट किया है कि परिवादी ने इस घेर में छप्पर डाल रखा है, जिसमें परिवादी रहता है। सभी साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने का भी स्पष्ट बयान दिया है। इसके बावजूद भी उक्त साक्ष्य को बिना किसी आधार के अविश्वसनीय माना है। विद्वान अवर न्यायालय ने इसी साक्ष्य के आधार पर मारपीट की घटना को सही मानते हुये अन्तर्गत धारा–323 भा0दं0सं0 अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया है और अन्य धाराओं के लिये इसी साक्ष्य को अविश्वसनीय होना कहा है। अभियुक्त वहीद का आपराधिक इतिहास पत्रावली पर दाखिल किया गया था, जिस पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया और मात्र परिवीक्षा पर अभियुक्तगण को छोड़ दिया गया। अभियुक्तगण ने परिवादी की गैर मौजूदगी में परिवादी के घेर में घुसकर उसकी पत्नी, बेटी व बहू तीनों महिलाओं

के साथ मारपीट की, जो कि गम्भीर अपराध है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने धारा–323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण की दोष सिद्धी के बाद भी सजा अपराध के सापेक्ष बहुत कम दी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम रूकैय्या आदि में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 12–12–2017 को अपास्त करते हुए अभियुक्तगण को धारा–323, 452, 504, 506, 427 भा0दं0सं0 में उचित दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

13– दाण्डिक अपील संख्या–02/2018 के अपीलार्थीगण तथा दाण्डिक अपील संख्या–99/2018 के विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्क के खण्डन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम श्रीमति रूकैय्या आदि की पत्रावली पर आये साक्ष्य में विरोधाभास को नजर अन्दाज करते हुए बिना क्षेत्राधिकार के आलोच्य आदेश पारित किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने स्वयं अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना है और इसी आधार पर धारा– 452, 427, 504, 506 भा0 दं0सं0 के अन्तर्गत अपराध में दोषी नहीं माना है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी निष्कर्ष दिया है कि पक्षकारों के बीच रास्ते पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में दीवानी विवाद लम्बित रहा है और अभियुक्ता रूकैय्या ग्राम प्रधान की हैसियत से रास्ते पर कब्जा छुड़ाने के लिये मौके पर गयी थी, जिसकी रंजिश में यह वाद लिखाया गया है। वास्तव में परिवादी गांव की आबादी में रहता हैं, जहां उसके दो घर हैं। घटनास्थल रास्ते की भूमि है जिस पर परिवादी अनावश्यक रूप से कब्जा करने की नियत से छप्पर डालने का प्रयास कर रहा था जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान ने पूर्व में भी परिवादी के विरूद्ध कार्यवाही की थी तथा दिनांक 27–11–2006 को भी ग्राम प्रधान श्रीमति रूकैय्या बेगम के साथ रास्ते के विवाद को लेकर वादीपक्ष ने दुर्व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत तहसीलदार के समक्ष लिखित रूप से की गयी थी जिस पर तहसीलदार ने थानाध्यक्ष मिर्जापुर को कार्यवाही करने के लिये आदेशित किया था। इन्हीं कार्यवाहियों से रंजिश के कारण परिवादी ने यह झूठा वाद ग्राम प्रधान के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। उक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए भी विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किया है, जो कि स्वयं उनके निष्कर्ष के विपरीत है। अभियोजन साक्षियों के बयान विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में कोई भी स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। सभी साक्षी हितबद्ध है। परिवादी ने चुटैल रेशमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि आवश्यक साक्षी थी। मौखिक साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण आख्या से कराया जाना आवश्यक है। चिकित्सीय परीक्षण आख्या में दर्शित चोटें लात घूसे या थप्पड़ से आना सम्भव नहीं है। डाक्टर ने अपने बयान में वो चोटें लाठी डण्डे से आना बताया है जिससे यह सिद्ध है कि साक्षियों ने झूठे बयान न्यायालय में दिये हैं। चोटों की प्रकृति के अनुसार उनकी पुष्टि नहीं होती है। उक्त साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य नहीं था। अतः विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम रूकैय्या आदि, अन्तर्गत धारा–323 भा0दं0सं0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर में पारित दाण्डिक आदेश दिनांकित 12–12–2017 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थीगण को दोष मुक्त किये जाने की

याचना की गयी है।

14– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नही है। निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है। अभियुक्तगण ने परिवादी हनीफ की पत्नी रईसा , पुत्री मन्नो एवं बहू रेशमा के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाई हैं जिसे सभी गवाहों ने अपने बयान से सिद्ध किया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और पुष्ट होने योग्य है तथा दोनों अपील संख्या–02/2018 एवं 99/2018 निरस्त होने योग्य है।

15. दाण्डिक अपील संख्या–99/2018 में अपीलार्थी/चुटैल रईसा की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट किये जाने तथा तोड़ फोड़ किये जाने का तथ्य सिद्ध होने के बाद भी अन्तर्गत धारा–452 व 427 भा0दं0सं0 अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अभियोजन साक्षियों के बयानों में आये विरोधाभास के आधार पर रास्ते का विवाद होने के आधार पर उक्त अपराध सन्देह के परे सिद्ध न होने का निष्कर्ष दिया गया है। **धारा–452 भा0दं0सं0** उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार के दण्ड को प्रावधानित करता है। **गृह अतिचार धारा–442 भा0दं0सं0** में प्रावधानित है कि –जो कोई किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में , जो मानव–निवास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में, जो उपासना–स्थान के रूप में, या किसी सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रह कर आपराधिक अतिचार करता है, वह ''गृह–अतिचार'' करता है, यह कहा जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा लिखायी गयी एन.सी.आर. संख्या–55/2006 दिनांकित 03–12–06 प्रदर्श क–5 में अभियुक्तगण द्वारा छप्पर तोड़े जाने का उल्लेख किया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद व अन्तर्गत धारा–244 दं0प्र0सं0 दिये गये बयान में दीवाल तोड़ने के संबंध में बयान किया है कि यह मुलजिमान हमारी दीवाल तोड़ कर रास्ता निकालने का कहने लगे और दीवाल तोड़ने लगे। यह उल्लेखनीय है कि परिवादी स्वयं घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। घटना का चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.–2 मन्नो तथा पी.डब्लू.–5 रईसा हैं। पी.डब्लू.–2 मन्नो ने अपनी मुख्य पृच्छा अन्तर्गत धारा–244 दं0प्र0सं0 में बयान किया है कि '' हमारे घेर पर वहीद, इकराम, रूकैय्या एवं रिजवान आये। ये लोग आकर तोड़ फोड़ करने लगे, दीवार तोड़ने लगे।'' इसी प्रकार पी.डब्लू.–5 रईसा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–246 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि ''हमारे मकान पर रूकैय्या प्रधान व रिजवान, वहीद व इकराम आये थे और आकर हमारी दीवार तोड़ने लगे। हम तीनों ने इन्हें दीवार तोड़ने से रोका था। इन लोगों ने हम तीनों को थप्पड़, मुक्कों व लातों से मारपीट की थी।'' इस प्रकार उपरोक्त तीनों साक्षियों के बयान में यह तथ्य आया है कि अभियुक्तगण परिवादी के ''घेर पर आये'' और यह कि ''दीवार तोड़ने लगे''। यद्यपि घेर जिसमें व्यक्ति स्वयं निवास करता हो या पशु या कृषि संबंधी सामान रखता हो वह गृह की श्रेणी में आयेगा परन्तु गृह अतिचार के लिये यह सिद्ध होना आवश्यक है कि अभियुक्तगण उक्त गृह

में अन्दर घुसकर आये। किसी भी साक्षी के बयान में यह तथ्य स्पष्ट रूप से नहीं आया है कि अभियुक्तगण ने दीवार बाहर की तरफ से तोड़ने का प्रयास किया या अन्दर की तरफ से। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी साक्षियों के बयानों में यह आया है कि दीवार तोड़ने लगे , यह तथ्य घटना के दूसरे दिन थाना मिर्जापुर पर दी गयी सूचना से भिन्न है जिसमें छप्पर तोड़े जाने का उल्लेख किया गया है। परिवादी की ओर से एक फोटोग्राफ कागज संख्या–6क दाखिल किया गया है, जिसे किसी साक्षी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया। उक्त फोटोग्राफ का कोई निगेटिव पत्रावली पर दाखिल नहीं है। यह सिद्ध नहीं है कि उक्त फोटोग्राफ किसने किस दिनांक को लिया है। न ही यह सिद्ध है कि वह फोटोग्राफ किस स्थान का है। यद्यपि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने उक्त फोटोग्राफ का उल्लेख अपने निर्णय में किया है परन्तु उक्त फोटोग्राफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित न किये जाने के कारण साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। उक्त फोटोग्राफ से ऐसा कोई तथ्य सिद्ध नहीं माना जा सकता जो कि अभियोजन पक्ष को सहायता करे। साक्षियों के बयानों में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्तगण ने परिवादी के घेर के अन्दर घुसकर कोई तोड़ फोड़ की। तोड़ फोड़ किये जाने की पुष्टि किसी भी साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। किसी भी साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा क्या नुकसान किया गया अथवा कितने का नुकसान किया गया। **धारा–427 भा0दं0सं0 में** प्रावधानित रिष्टि के अपराध के सिद्ध होने के लिये नुकसान की प्रकृति व उसका मूल्य सिद्ध होना आवश्यक है। अभियोजन साक्षियों के बयान से अभियुक्तगण द्वारा स्पष्ट रूप से नुकसान किये जाने के संबंध में पुष्टि नहीं होती है। साक्षी पी.डब्लू.–3 ने घटनास्थल को मकान कहा है जबकि अन्य साक्षियों ने घटनास्थल को घेर कहा है। ऐसी स्थिति में भी उक्त साक्ष्य इस बिन्दु पर विरोधाभासी है तथा यह विसंगतियां गम्भीर प्रकृति की हैं। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। पत्रावली पर दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य कागज संख्या–20ख/6 लगायत 20ख/9 के अवलोकन से यह सिद्ध है कि घटना से पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा हटाने के लिये कार्यवाही की गयी थी। यह अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह अपने प्रत्यक्ष साक्ष्य से घटना को युक्तियुक्त सन्देह के परे सिद्ध करे। अभियोजन साक्षियों के बयान से अभियुक्तगण द्वारा परिवादी व चुटैल के घर/घेर के अन्दर घुसकर आना और तोड़ फोड़ करने का तथ्य युक्तियुक्त सन्देह के परे सिद्ध नहीं है।

16. दाण्डिक अपील संख्या–99/2018 में अपीलार्थी/चुटैल रईसा की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा–504, 506 भा0दं0सं0 दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं । इस बिन्दु पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अभिमत दिया गया है कि परिवादी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.–2 मन्नो व पी.डब्लू.–3 रईसा की मुख्य परीक्षा में इन कथनों का उल्लेख नहीं हे कि अभियुक्तगण द्वारा चुटैलों के साथ गाली गलौच की गयी। इस प्रकार परिवादी पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा–504 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। स्वयं चुटैल एवं प्रकरण की एन.सी.आर. लिखाने वाली साक्षी पी.डब्लू.–3 रईसा के एन.सी.आर. में वर्णित कथनानुसार जान से मारने की धमकी का कोई उल्लेख एन.सी.आर. में नहीं है, लात

घूसों से मारपीट किया जाना कहा गया है अर्थात अभियुक्तगण के पास ऐसा कोई खतरनाक हथियार नहीं है जो अभियुक्तगण का जान से मारने का आशय दर्शित करता हो एवं जो चुटैलों को जान से मारने का भय कारित करने के लिये पर्याप्त हो। अतः परिवादी अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा–506 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

17. पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि परिवादी ने अपने परिवादपत्र में कोई विशिष्ट शब्दो का उल्लेख नहीं किया गया है जिसको प्रयुक्त कर अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के परिजनो को प्रकोपित किया गया है, अभियोजन साक्षियों ने भी अपने बयान में किसी विशिष्ट शब्द का उल्लेख नहीं किया है कि उन्हें किन किन शब्दो का प्रयोग करके अथवा गालियॉ देकर अपमानित किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर गाली गलोज किये जाने के विशिष्ट शब्द का उल्लेख बयानों में न होने के कारण उक्त अपराध बनने हेतु आवश्यक अवयवो का अभाव है। ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि घटना के समय अभियुक्तगण किसी घातक हथियार से लैस थे। ऐसी दशा में अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने का तथ्य भी सन्देह के परे सिद्ध नहीं है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर दिया गया निष्कर्ष पूर्णतः विधि अनुरूप तथा साक्ष्य पर आधारित है।

18. दाण्डिक अपील संख्या–02/2018 में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा–323 भा0दं0सं0 दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं । विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं और चुटैल को आयी चोटों की पुष्टि चिकित्सीय आख्या से नहीं होती है। पत्रावली पर आये सम्पूर्ण साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि घटना में चुटैल मन्नो, रईसा व रेशमा के साथ थप्पड़ मुक्कों व लात से मारपीट किये जाने का आक्षेप किया गया है। जिसके सम्बन्ध में साक्षी पी.डब्लू.–2 मन्नो व साक्षी पी.डब्लू.–3 रईसा ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट बयान किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ थप्पड़, मुक्के लातों से मारपीट की। चुटैलों के चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–1, प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें प्रदर्श क–1 मन्नो की चिकित्सीय आख्या है, जिसके अनुसार चुटैल को तीन चोटें आना अंकित है, जिसमें चोट नम्बर–1 डार्क ब्राउन नीलगू निशान सामने गर्दन पर 7 गुना 1 से.मी., चोट नम्बर–2– खुरन्टदार खरोंच बांये घुटने पर 3 गुना 2 से.मी., चोट नम्बर 3– भूरे रंग का नीलगू निशान कूल्हे के बांये तरफ 2 गुना 1 से.मी. अंकित है। प्रदर्श क–2 चिकित्सीय आख्या रेशमा है, जिसमें चुटैल की तीन चोटें अंकित हैं, जिसमें चोट नम्बर–1 खुरण्टदार चोट खरोंच दांये हाथ पर साईज 3.5 गुना 0.2 से.मी., चोट नम्बर–2 खुरण्टदार चोट बांयी भुजा पर 6 गुना 5 से.मी., चोट नम्बर–3 ब्राउन रंग की बांये अंगूठे के निचले हिस्से में 1 गुना 1 से.मी. अंकित है। प्रदर्श क–3 चिकित्सीय परीक्षण रईसा है, जिसमें चुटैल की तीन चोटें अंकित हैं, जिसमें चोट नम्बर–1 खुरण्टदार खरोंच नीलगू गर्दन की बांये तरफ 4.1 गुना 1 से.मी., चोट नम्बर–2 खुरण्टदार खरोंच पेट के निचले हिस्से पर 7 गुना 1 से.मी., चोट नम्बर–3 खुरण्टदार खरोंच पेट के निचले हिस्से में सामने पेट पर 3 गुना 1 से.मी. जो चोट नम्बर 2 से 2 से.मी. नीचे है, अंकित है। उक्त सभी चोटों के संबंध

में चिकित्सक द्वारा राय दी गयी है कि सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं, जो कि कुन्दाले व घर्षण से आना सम्भव है। सभी चोटें दो दिन पुरानी हैं। साक्षी पी.डब्लू.–4 डाक्टर अनिल कुमार द्वारा सशपथ बयान से उक्त चिकित्सीय आख्या को प्रमाणित किया गया है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि चिकित्सीय परीक्षण थाना मिर्जापुर द्वारा दी गयी मजरूबी चिट्ठी पर किया गया है। घटना में चुटैल साक्षी पी.डब्लू.–2 मन्नो व साक्षी पी.डब्लू.–3 रईसा ने अभियुक्तगण द्वारा मुक्कों, लात व हाथों से मारपीट किये जाने का स्पष्ट बयान दिया है, जिसकी सम्पुष्टि जिरह में भी की गयी है। उक्त साक्ष्य से चुटैल को साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि होती है। विशेषज्ञ साक्षी पी.डब्लू.–4 डाक्टर अनिल कुमार की राय कि उक्त चोटें कुन्दाले से आना सम्भव है, के आधार पर घटना के चुटैल साक्षियों के मौखिक साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। चिकित्सीय आख्या में दी गयी राय की अपेक्षा चुटैल साक्षियों का मौखिक साक्ष्य अधिक विश्वसनीय है। इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था **2012 (79) ए0सी0सी0 656 एस0सी0 दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य** में अवधारित किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य के अपेक्षाकृत मौखिक साक्ष्य अधिक विश्वसनीय माना जाना चाहिये। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य युक्ति युक्त सन्देह के परे सिद्ध है कि अभियुक्तगण द्वारा चुटैल मन्नो, रेशमा व रईसा को मारपीट कर साधारण उपहति पहुंचाई गयी।

19. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय की राय में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा धारा– 323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण की दोषसिद्धि सम्बन्धी विनिश्चय विधि एवं तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है।

20. दाण्डिक अपील संख्या–99/2018 के अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त दोषसिद्धी के साथ पारित दण्डादेश पर भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर त्रुटि की गयी है। अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास पत्रावली पर दाखिल किया गया था जिस पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बिन्दु पर यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण वहीद व इकराम के विरूद्ध दाखिल आपराधिक वाद एफ0आई0आर0 की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है। किसी अभियुक्त के संबंध में दोषसिद्धि का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया गया है। दोषसिद्धि के अभाव में किसी अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक इतिहास होने का विनिश्चय नहीं किया जा सकता। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल रिवीजन संख्या–1224/2002 में पारित निर्णय दिनांकित 19–02–2016 को अनुपालन करते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया गया है तथा पीड़ित पक्ष को प्रतिकर दिये जाने हेतु भी आदेशित किया गया है। इस प्रकार विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश पारित करने में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं की गयी है तथा आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण है। अतः मेरे विचार से आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

21. उपरोक्त विवेचना के आधार पर दाण्डिक अपील संख्या–02/2018 एवं दाण्डिक अपील संख्या–99/2018 बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है ।

आदेश

दाण्डिक अपील संख्या–02/2018 एवं दाण्डिक अपील संख्या–99/2018 निरस्त की जाती हैं। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–1321/2015 मौहम्मद हनीफ बनाम श्रीमति रूकैय्या आदि में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 12–12–2017 की पुष्टि की जाती है । आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्णय की प्रति के साथ पत्रावली विद्वान परीक्षण न्यायालय को प्रेषित की जाये । अभियुक्तगण आदेश का अनुपालन अन्दर 07 दिन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की एक प्रति दाण्डिक अपील संख्या–99/2018 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांकः 12–01–2021

(अनामिका चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–7, सहारनपुर।
(जे0ओ0 कोड–यू0पी0–6196)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 12–01–2021

(अनामिका चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–7, सहारनपुर।
(जे0ओ0 कोड–यू0पी0–6196)